न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

राजस्व प्रार्थना संख्या 41/2017

1. रमेशचन्द पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी मदार अजमेर, जिला अजमेर।
2. उमरावसिंह पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी पंचशील नगर अजमेर, जिला अजमेर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी मदार अजमेर, जिला अजमेर।
4. कमलकुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी मदार अजमेर, जिला अजमेर।
5. विमला पुत्री श्री शंकरलाल जाति बलाई निवासी पंचशील नगर अजमेर, जिला अजमेर।

..........................प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र बद्री
2. चान्दमल पुत्र बद्री
3. भंवरलाल पुत्र बद्री
4. महावीर पुत्र बद्री

   सभी जाति खाती निवासीगण ग्राम नगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

5. गजानन्द पुत्र मोहन
6. रामस्वरूप पुत्र गजानन्द
7. श्रीमती डालीदेवी पत्नी प्रेमचन्द

   क्र. सं. 5 लगायत 7 जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम नगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोद्य, बिजयनगर, जिला अजमेर।

..........................अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 21.12.2017

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा नगर पटवार हल्का शिखरानी भू0 अ0 नि0 बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 528/1155 रक्बा 1.1817 बीघा उसकी खुदकाश्त से खोतदारी की भूमि है। जिसमें पडोसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है। अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 6 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई एतराज नही किया। व अप्रार्थी सं0 2, 5, 7, 8 अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम नगर की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता स0 360 में ख0 न0 528/1155 रक्बा 1.1817 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिये जाते है। कि–

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम नगर स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 528/1155 रक्बा 1.1817 बीघा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है। कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 21.12.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 16:11:38 IST
Reason: SelfAttested